

GOVERNMENT OF
HARYANA
EDUCATION DEPARTMENT

ORDER

(Under Rule 34(6) of Haryana School Education Rules -2003)

GRANT OF PERMANENT RECOGNITION / UPGRADATION

ACCORDING ORDER NO DSE HRY PUNCHKULA



Memo no 8/9-2007 PS(3) Dated on 13-08-2014

Order no 5-1-2017/1177

Dated 24/05/2017

In exercise of powers conferred under rule 34 (6) of Haryana school education rules 2003 , as amended from time to time , sanction is hereby accorded for grant of Permanent Recognition to VANDANA SR . SEC. SCHOOL , SEWLI , SONIPAT as per the following details and terms & conditions

(Overleaf) :

| | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|------|
| School code : 18375 | / Sonepat' /Sr. Secondary / | HBSE | /2016-17 | |
| Serial no . | (District) | Stage of School | Affiliating Board | Year |
| Name & address of the school | <u>VANDANA SR.SEC. SCHOOL , SEWLI, SONEPAT</u> | | | |
| Name of the individual or Association of individuals or Society or Trust or Company Establishing the school | <u>VANDANA SHIKSHA SADAN SAMITI , SEWLI, SONEPAT</u> Village - Sewli , (SNP) | | | |
| Affiliating Board | <u>HARYANA BOARD</u> | | | |
| For stage upto which It is being recognized | Sr. Secondary | | | |
| Stream - | Arts, Commerce, Science | | | |
| Maximum number of student to be enrolled | 260 | | | |
| DEO/DEEO -cum-Member Secretary Of the District Committee (As specified under rule 34 (6) of the Haryana School Education Rules, 2003 as amended from time to time) (Signature and seal) | Distt. Education Officer Sonepat  | | | |
| | Deputy Commissioner Sonepat  Deputy Commissioner -cum - chairman of the District Committee (As specified under Rule 34(6) of the Haryana School Education Rules, 2003 as amended from time to time) (Signature and seal) | | | |

Endst no . Even :

Dated:

1. Manager of school management VANDANA SHIKSHA SADAN SAMITI, SEWLI, SONEPAT
2. Commissioner & Director School Education , Haryana ,Panchkula
3. DEO/DEEO Sonepat
4. Secretary , Haryana Board of School Education , Bhiwani
5. Principal / Head of School Vandana Sr. Sec. School, Sewli Sonepat
6. Master file

Distt. Education Officer
Sonepat

DEO/DEEO-cum- Member Secretary

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी-127021

सेवा में,

प्राचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका,
Vandana Sr. Sec. School,
Sewali (Sonapat)

क्रमांक 18375/50/11042/Aff./2017-18

दिनांक 07-02-18.....

महोदय/महोदया,


आपकी संस्था को सी.टी.ए. से सी.ए.डी.ई. कक्षा तक Commissioner & Director General School Education Haryana Panchkula के आदेश क्रमांक G-1-2017/1177 दिनांक 04-05-2017 द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायें।
2. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएंगी। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
3. बोर्ड द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढ़ता से पालना करेगी।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी, जिससे नकल/प्रतिरूपण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी।
6. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या 1 से 21 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जायेगी।
7. संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।
8. परीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध करना होगा।
9. संस्था में पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाये।
10. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी।

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सम्बद्धता विनियमों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी।

भवदीय


अधीक्षक (सम्बद्धता)
कृते सचिव